


राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विजौलिया जिला - भीलवाडा (राज.)

2025/58

क्रिम मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फंसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128 प्रार्थना-पत्र	41/25	25/2/25		10/3/25 17/3/25 24/3/25
				

अनवान

श्री शंकरलाल पिता जीवा

श्री मांगीलाल पिता जीवा

निवासी आजी का बैरा

निवासी आजी का बैरा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रैस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री J.C.D.

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

Crim I

नियम 26

जज अदालत- उपखण्ड अधिकारी पुकाम, विजौलियां, भीलवाड़ा
 २२२२२२ वनाम मागीला
 क्रियम मुकदमा 111-128 प्रकरण संख्या ५१ सन 2025

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>25/9 2025</p>	<p>प्रार्थना-पत्र सीमे से बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलवी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना-पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 10/3/2025 को वास्ते तलवी/जवाब पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी विजौलियां</p>	
<p>10/3/25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् PC दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 10/3/25 को वास्ते 3-71 पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी</p>	
<p>17/3/25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् PC दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 17/3/25 को वास्ते 3-71 पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी</p>	
<p>24/3/25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिनमें शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी बाद सूचना अनुपासित रहे। विपक्षीगणों को उबार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली में विपक्षीगणों के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। आदेश के पालनार्थ तहसीलवा विजौलियां को लिखा जावे। पत्रावली फल शुभा होकर, नम्बर ले कर होकर दाखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी</p>	



उपखण्ड अधिकारी
विजौलियां जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 41/2024

दायर दिनांक :- 25/2/2024

- 1 शंकरलाल पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
- 2 गोपाली पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
- 3 जेली पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
- 4 भुली पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
- 5 सुगरी पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
- 6 सुशीला पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
- 7 दिनेश कुमार पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

.....प्रार्थीगण

बनाम

मांगीलाल पिता जीवण जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

- : आदेश : -

दिनांक 24/2/2024

प्रार्थना पत्र हम शंकर लाल, गोपाली, जेली, भुली सुगरी, सुशीला, दिनेश कुमार पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0 जरिये अभिभाषक श्री जगदीश चन्द धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि मौजा ग्राम सुठी पटवार हल्का भोपतपुरा तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 52 पर अंकित आराजी 100/30, 101/31, 99/29 कुल किता 03 रकबा 0.4452 हैक्टेयर भूमि स्थित है। विपक्षगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लड़ाई झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। भु अभिनिरक्षिक बिजौलिया कलां को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस नियमानुसार पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार कि मौजा ग्राम सुठी पटवार हल्का भोपतपुरा तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 52 पर अंकित आराजी 100/30, 101/31, 99/29 कुल किता 03 रकबा 0.4452 हैक्टेयर भूमि बिशामलाती पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या ५१ / 202५

दिनांक :- 25/2/202५

प्रेषित :-

तहसीलदार बिजौलियां

विषय :- प्रकरण संख्या ५१ / 202५ पत्थरगढी बाबत ।

- 1 शंकरलाल पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
- 2 गोपाली पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
- 3 जेली पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
- 4 भुली पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
- 5 सुगरी पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
- 6 सुशीला पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
- 7 दिनेश कुमार पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

.....प्रार्थीगण

बनाम

मांगीलाल पिता जीवण जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम सुठी पटवार हल्का भोपतपुरा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 52 पर अंकित आराजी 100/30, 101/31, 99/29 कुल कित्ता 03 रकबा 0.4452 हैक्टेयर भुमि की बशामलाती पडौसीयान की पत्थरगढी की जावें मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावें। तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। भु-अभिनिरक्षिक बिजौलिया कलां को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस नियमानुसार पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा। पत्थरगढी करने के पुर्व में विपक्षीगणो एवं पडौसीयान को नोटिस देकर सुचित करते हुये पत्थरगढी करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उ
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया